(5)

संख्या–वे0आ0–2– 132 / दस–54(एम) / 2008

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अभियंत्रण विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 27 जनवरी, 2011

विषयः– वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के छठे प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड / वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–31 / दस–2010–54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 18 जनवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 2010 के अनुसार राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 2550–3200, 2610–3540 तथा 2650–4000 के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड–1एस0, रू0 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन क्रमशः रू0 1300 / –, 1400 / – तथा रू0 1650 / – के स्थान पर संशोधित / उच्चीकृत वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 / – दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ / नकद भुगतान दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से अनुमन्य कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–31 / दस–2010–54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 18 जनवरी, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– 132 (1) / दस–54(एम) / 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I एवं II तथा (आडिट)–I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8— निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
9— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 140 सा0 वित्त—31—1—2011—(2265)—3000+2—(आफसेट)।